<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 31.03.2024, थाना नवाबगंज</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा गला दबाकर निर्मम हत्या करने का मुख्य आरोपी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार,

<u>कार्यवाही-</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत मु0अ0स0-95/2024, धारा 302 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश में आया मुख्य आरोपी अभियुक्ता रीता पत्नी अर्जुन निषाद पुत्री पंचम निषाद निवासी बल्दुपुरवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को नौडिहवा मोड़ नाले के पास रामनगर दतौली रोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

वादी तिलकराम निषाद पुत्र रामचरन निवासी ग्राम पार्वती थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ने थाना धानेपुर को सूचना दिया कि मेरा लड़का अपने बुआ के घर जाने के लिए दिनाकं 28.03.2024 निकला था है । दिनांक 29.03.2024 को मुझे सूचना मिली की दूबेपुरवा बलुहा घाट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा में मेरे लड़के की लाश पड़ी है। उक्त सूचना पर थाना धानेपुर पर मु0अ0स0-95/2024, धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा स्वाट/सर्विलांस, डाग स्क्वायड, फील्ड यूनिट टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा 03 टीमों का गठन कर घटना का जल्द से जल्द सफल अनावरण व घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक धानेपुर को निर्देशित किया गया था। आज दिनाकं 31.03.2024 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरान्त घटना में प्रकाश में आया मुख्य आरोपी अभियुक्ता रीता पत्नी अर्जुन निषाद पुत्री पंचम निषाद निवासी बल्दुपुरवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि सूरज मेरे रिस्तेदारी में आता है, मेरा उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था सूरज ही मेरा खाना खर्चा भी चलाता था । जिसके कारण पति के साथ अच्छे सम्बन्ध नही थे। कुछ दिनों से सूरज मेरे उपर दबाव बनाने लगा कि उसके मर्जी के बिना कही आना जाना नही है यदि मै कही चली जाती थी तो वह मेरे साथ गाली -गलौज करता था। मेरा खर्च उठाना भी बन्द कर दिया। जिससे तंग आकर उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी दिनांक 28.03.2024 को सूरज फोन किया की मुझसे मिलने आ रहा है। उसके साथ मै मोटरसाइकिल पर बैठकर सागौन की बाग में गयी। सूरज काफी नशे में था बातचीत के दौरान दुपट्टा से उसको पेड़ में बाध दिया। तथा रबड़ की रस्सी से गला कस दिया था। जिससे सूरज की मृत्यु हो गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता-</u>

01. रीता पत्नी अर्जुन निषाद पुत्री पंचम निषाद निवासी बल्दुपुरवा मौजा उज्जैनीकला थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0-95/2024, धारा 302 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी:

01. 01 अदद मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. प्र0नि0 वेद प्रकाश शुक्ला थाना धानेपुर गोण्डा।
02. उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल
03. हे0का0 अशोक यादव
04. हे0का0 आनन्द प्रकाश यादव
05. हे0का0 फहीमुद्दीन खाँ
06. म0का0 लाजवन्ती

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.03.2024, थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा।

रौब जमाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर फर्जी लाइटर गन(पिस्टल) के साथ फोटो/वीडियों वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तारः-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा तथाकथित पिस्टल (लाइटर गन) के साथ अभियुक्त आशीष पुत्र चन्ने निवासी ग्राम दुर्गागंज मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम दुर्गागंज माझा से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.03.2024 को सोशल मीडिया पर यह संज्ञान आया कि एक व्यक्ति आशीष पुत्र चन्ने निवासी ग्राम दुर्गागंजमांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा रौब जमाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पिस्टल के साथ अपना वीडियों वायरल/प्रदर्शित किया है। जिस पर थाना नवाबगंज के उ0नि0 जयनाथ यादव द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तथाकथित पिस्टल बरामद की गयी है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह खिलौने वाली पिस्टल है तथा मेरे द्वारा लोगो में रौब जमाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ फोटो/वीडियों पोस्ट किया गया था। अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 151/107/116 सी0आर0पी0सी0 की निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. आशीष पुत्र चन्ने निवासी ग्राम दुर्गागंज मांझा थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी

फर्जी लाइटर गन(पिस्टल)

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 जयनाथ यादव
02. का0 अतुल कुमार सिंह
03. का0 अखिलेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट,
दिनांक 31.03.2024

अधिवर्षता सेवा पूर्ण करने वाली 01 महिला अनुचर हुई सेवानिवृत-
गोण्डा। आज दिनांक 31.03.2024 को जनपद गोण्डा में नियुक्त *महिला अनुचर ज्ञानवती* पुलिस सेवा में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत हुई है। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत द्वारा पुलिस लाइन सभागार में उन्हें अंग वस्त्र व धार्मिक पुस्तकें भेट कर विदाई दी तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया।

इस मौके पर प्रतिसार निरीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह व अन्य पुलिस के अधि0/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 31.03.2024, थाना खरगुपर
जनपद गोण्डा।

थाना खरगुपर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-
जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 66/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त वासुदेव पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम चौबेपुर थाना गौरा जनपद बलरामपुर को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना खरगूपुर पर सूचना दिया कि मेरी नाबालिक लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0- 66/2024, धारा 363, 366 भादवि बनाम वासुदेव पुत्र गयाप्रसाद निवासी चौबेपुर थाना गौरा जनपद बलरामपुर के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 31.03.2024 को कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत से वांछित अभियुक्त वासुदेव पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम चौबेपुर थाना गौरा जनपद बलरामपुर को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. वासुदेव पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम चौबेपुर थाना गौरा जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 66/2024, धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0पंकज कुमार
02. हे0का0 राजकिशोर
03. का0 लवकुश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।